

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक 10(7) ग्रा.वि./नरेगा/संविदा/2010

जयपुर, दिनांक

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जयपुर।

3 MAY 2011

विषय : संविदा पदों पर चयन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक महात्मा गांधी नरेगा/संस्थापन/2010-11/214
दिनांक 02.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.04.2011 में नियमित रूप से सृजित पद, जो संबंधित सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित है, पर संविदा नियुक्ति नहीं किये जाने के निर्देश दिये हैं।

नरेगा योजना में कोई भी पद नियमित रूप से सृजित नहीं है। योजना के समस्त पद संविदा पर मात्र एक वर्ष के लिये सृजित किये जाते हैं। अतः राज्य सरकार के उक्त परिपत्र से योजना की संविदा नियुक्तियाँ प्रभावित नहीं होती हैं।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

लिपि :- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद् जिला जयपुर को छोड़कर समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस